संख्या-126/2022/।/225239/001-71-2099-204-2021

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 14 अक्टूबर, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ परिसर में कालेज ऑफ़ मेडिकल टेक्नोलोजी के छात्रों हेतु 200 बेडेड छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/सिविल अभि0/एन0बी0-108/2018/384/ 2022, दिनांक 27-09-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ परिसर में स्थित कालेज ऑफ़ मेडिकल टेक्नोलोजी के छात्रों हेतु 200 बेडेड छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु 95 प्रतिशत की सीमा तक अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि विषयगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-27/2020/63/71-2-2020-पी-06/2019 दिनांक 06-03-2020 द्वारा रू0 1215.21 लाख + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 486.00 लाख, शासनादेश संख्या-129/2021/ 1/118101/2021, दिनांक 30-11-2021 द्वारा रू0 121.60 लाख एवं शासनादेश संख्या-19/2022/। /143073/2022-71-2099/204/2021, दिनांक 25-02-2022 द्वारा रू0 303.80 लाख अर्थात कुल रू0 911.40 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 27-09-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में संस्थान परिसर में कालेज ऑफ़ मेडिकल टेक्नोलोजी के छात्रों हेतु 200 बेडेड छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु 95 प्रतिशत की सीमा तक अवशेष धनराशि रू0 243.05 लाख (रूपये दो करोड़ तैतालिस लाख पॉच हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध</u>

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक /पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।
3. शासनादेश संख्या-27/2020/63/71-2-2020-पी-06/2019, दिनांक 06.03.2020 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
5. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2022-2023 में वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13-2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त/नियंत्रक का होगा।
8. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,43,05,000 (रुपये दो करोड़ तैंतालीस लाख पांच हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050300 संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव

संख्या-126/2022/।/225239/001-71-2099-204-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0 लखनऊ।
9. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in